



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 20 मार्च, 2025 / 29 फाल्गुन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला—02, 15 मार्च, 2025

संख्या: यु0डी0—ए(3)—14 / 2015.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या यु0डी0—ए(3)—14 / 2015 तारीख 11—08—2016, 24—10—2019 व 23—12—2020 के अधिक्रमण में और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा

270—राजपत्र / 2025—20—03—2025

(14283)

गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय सीमा को निम्नलिखित प्रकार से अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

क्रम संख्या	सेवा/ लोक सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र (फार्मेट)	सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा के लिए आवेदन कर सकता है	सेवा के लिए समय सीमा	प्रथम अपील प्राधिकारी	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जन्म का रजिस्ट्रीकरण।	रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) नगर-निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2003 के अधीन विहित प्रारूप संख्या 7 पर।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि जन्म स्वास्थ्य संस्थान में हुआ है, यदि जन्म घर पर हुआ है तो जन्म प्रपत्र पारिवारिक चिकित्सक/नर्स/ प्रशिक्षित दाई/वार्ड पार्षद द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो।	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य।	दो दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार।
2.	मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण।	रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) नगर-निगम/ कार्यकारी अधिकार नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अधीन विहित प्रारूप संख्या 8 पर।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट यदि मृत्यु स्वास्थ्य संस्थान में हुई है, यदि मृत्यु घर पर हुई है तो रिपोर्ट पारिवारिक चिकित्सक/वार्ड पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित हो।	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य।	दो दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार।
3.	विवाह का रजिस्ट्रीकरण।	रजिस्ट्रार/संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त नगर-निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् /सचिव, नगर पंचायत।	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 के उपबन्ध के अनुसार विहित प्रारूप पर	विवाह करने वाले व्यक्तियों का व्यौरा।	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य।	दो दिन	(i)आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	-
4.	जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण-पत्र की प्रति।	रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी), विवाह नगर-निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 के उपबन्ध के अनुसार विहित प्रारूप पर।	नाम, जन्म तिथि/ मृत्यु /विवाह और अन्य सुसंगत व्यापे।	परिवार का कोई व्यक्ति	दो दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	-
5.	जल आपूर्ति कुनैक्षण।	म्युनिसिपल इंजीनियर नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् /सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	समापन/मंजूरी पत्र, कर शोधन, स्वामित्व, स्थल योजना और किरायदार की दशा में स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता/ अभियन्ता, नगर निगम की तकनीकी रिपोर्ट।	स्वामी या किरायेदार।	तीस दिन।	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद् नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।

6.	मल निकास कुनेक्षण।	स्थानिक इंजीनियर नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् / सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	समापन / मंजूरी पत्र, कर शोधन, स्वामित्व, स्थल योजना और किरायेदार की दशा में स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता / अभियन्ता, नगर निगम की तकनीकी रिपोर्ट।	स्वामी या किरायेदार।	तीस दिन।	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के सम्बद्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।
7.	भवन योजना (प्लान) / योजना (प्लान) की अनुज्ञा / नक्शा							
क.	नई योजना की अनुज्ञा।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् / सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी प्रारूप में विहित है।	सम्पत्ति का स्वामी	तीस दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के सम्बद्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।
ख.	संशोधित एवं समापन योजना (कम्पलीशन प्लान)।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् / सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है। प्रारूप विहित	सम्पत्ति का स्वामी।	नब्बे दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर परिषद्, नगर पंचायत के सम्बद्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।
ग.	समापन योजना (कम्पलीशन प्लान सभी प्रकार से भवन के पूर्ण होने के पश्चात)।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् / सचिव नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है। प्रारूप विहित	सम्पत्ति का स्वामी।	पन्द्रह दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के सम्बद्ध में सम्बद्ध सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।
घ.	भवन का विध्वंस और पुनर्निर्माण।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् / सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है। प्रारूप विहित	सम्पत्ति का स्वामी।	पैंतीलीस दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के सम्बद्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।
ङ	भवन उपयोग का परिवर्तन।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् / सचिव नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है। प्रारूप विहित	सम्पत्ति का स्वामी।	साठ दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के सम्बद्ध में सम्बद्ध उप-मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगर पालिका द्वारा यथा विहित फीस।

च	भवन योजना में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन एवं पुनर्स्त्यापन।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है।	प्रारूप विहित	सम्पति का स्वामी।	पैतालीस दिन।	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत के सम्बद्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगर पालिका द्वारा यथा विहित फीस।
8.	बी पी एल प्रमाण पत्र का जारी करना।	संयुक्त आयुक्त / सहायक आयुक्त, नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	सादे कागज पर आवेदन।	कार्ड की प्रति/शपथ —पत्र यदि अपेक्षित हो, नाम सहित परिवार के सदस्यों की सूची, परिवार के मुखिया फोटोग्राफ।	कोई व्यक्ति	सात दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।	
9.	बिजली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	सादे कागज पर आवेदन।	मंजूरी का संदर्भ।	कोई व्यक्ति	तीस दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।	
10.	गैर (खाद्य अपमिश्रण निवारण) लाइसेंस।	संयुक्त आयुक्त / सहायक आयुक्त नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	सादे कागज पर आवेदन।	मंजूरी का संदर्भ।	कोई व्यक्ति	तीस दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।	
11.	कैनोपी के लिए अनुमति।	संयुक्त आयुक्त / सहायक आयुक्त नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	सादे कागज पर आवेदन।	मंजूरी का संदर्भ।	कोई व्यक्ति	सात दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।	
12.	मक डंपिंग के लिए अनुमति।	अधिशासी अभियंता, नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	सादे कागज पर आवेदन।	मंजूरी का संदर्भ।	कोई व्यक्ति	सात दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस।	

13.	व्यापार लाईसेंस	संयुक्त आयुक्त, नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है।	प्रारूप विहित	कोई व्यक्ति	कुल सात दिन चरणवार विभाजन डी.ए. -2 दिन, जेइ एम.ई-2 दिन,आयुक्त/ कार्यकारी/ अधिकारी/ सचिव— <sup>3</sup> दिन।	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/नगर पचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।
14.	सड़क काटने की अनुमति।	संयुक्त आयुक्त नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	मंजूरी का संदर्भ।	कोई व्यक्ति	पन्द्रह दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	
15.	निरीक्षण (क) सड़क काटने की अनुमति के लिए और (ख) उचित बहाली सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन।	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०), नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	मंजूरी का संदर्भ।	कोई व्यक्ति	सात दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	
16.	संपत्ति कर/ खाली भूमि कर।	सहायक आयुक्त, नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है।	प्रारूप विहित	सम्पत्ति का स्वामी।	वित्तीय वर्ष पूरा होने के 30 दिनों के भीतर बिल जारी करना।	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।
17.	साईनेज लाईसेंस।	संयुक्त आयुक्त, नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है।	प्रारूप विहित	कोई व्यक्ति	पन्द्रह दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।
18.	निर्माण सामग्री के भाड़ारण की मंजूरी।	अधिशासी अभियंता, नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	मंजूरी का संदर्भ।	कोई व्यक्ति	पन्द्रह दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।	
19.	फिल्म शूटिंग—राज्य नगर निगम।	संयुक्त आयुक्त नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत।	विहित प्रारूप पर	जैसी में है।	प्रारूप विहित	कोई व्यक्ति	सात दिन	(i) आयुक्त, नगर निगम (ii) नगर पालिका परिषद्/ नगर पचायत के सम्बन्ध में सम्बद्ध उप—मण्डल अधिकारी।

निर्धारित दस्तावेजों सहित विहित आवेदन/प्ररूप पर सेवा के लिए अनुरोध पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जो ऐसे आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हो। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियमों के अनुसार पावती जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम, 2011 नियम 4 के अनुसार, पदाभिहित अधिकारी जनसाधरण की सुविधा के लिए प्ररूप-2 में उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं की सूचना अपने कार्यालय की ऑफिसियल वेबसाइट के साथ-साथ कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करवाएगा।

धारा 6 के अधीन आवेदन अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर, प्रथम अपील प्रधिकारी को अपील की जा सकेगी।

प्रथम अपील प्रधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्वितीय अपील प्रधिकारी है, के समक्ष दाखिल कर सकेगा।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / –  
(देवेश कुमार)  
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

*[Authoritative English text of this Department's Notification No. UD-A(3)-14/2015, dated 15-03-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, 15th March, 2025*

**No. UD-A(3)-14/2015.**—In supersession of this Department's previous Notification No. UD-A(3)-14/2015 dated 11-08-2016, 24-10-2019 & 23-12-2020 and in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the stipulated time limits for the purpose of Act ibid for the Department of Urban Development, Himachal Pradesh, as under:—

Sl. No.	Name of service/Public service	Designated Officer	Format of the application to obtain service	List of documents required to obtain service	Person who can request for service	Time limit for service	First Appellate Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Registration of Birth.	Registrar, Birth & Death (C.H.O.), M.Corp/ EO, MC/ Secy., NP.	On Form No.7 prescribed under the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003.	Report of Medical officer, if birth takes place in Health Institute in case birth takes place at home, birth proforma duly signed by the family doctor/ nurse/ trained midwife/Ward Councilor.	Parents of any other family member.	2 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	As per the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003.
2.	Registration of Death.	Registrar, Birth & Death (C.H.O.), M.Corp/EO, MC/ Secy., NP.	On Form No.8 prescribed under the H.P. Registration of Birth & Death Rules, 2003.	Report of Medical Officer, if death takes place in Health Institute. In case death takes place at home report signed by the family doctor/ward council.	Parents of any other family member.	2 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	As per the H.P. Registration of Birth & Death Rules, 2003.

3.	Registration of Marriage.	Registrar/J.C./AC of M.Corp/ EO/MC/ Secy., NP.	On prescribed form as per the provision of Registration of Marriage Act, 1996.	Detail of persons getting married.	Parents of any other family member.	2 days	i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
4.	Copy of Birth Death & Marriage Certificate.	Registrar, Birth & Death (C.H.O) Marriage, M.Corp/ EO, MC / Secy., of NP.	On prescribed form as per the provision of Registration of Marriage Act, 1996.	Name, date of Birth/Death/Marriage/ and other relevant details.	Any person of family.	2 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
5.	Water supply Connection.	M.E. M.Corp/ EO, MC/ Secy., NP.	On prescribed form.	Completion/sanction letter, Tax Clearance, Ownership/ site plan and NOC of owner in case of tenants Tech. report of JE/AE/ME.	Owner or tenant.	30 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
6.	Sewerage Connection.	M.E. M.Corp/ EO, MC/ Secy., NP.	On prescribed form.	Completion/sanction letter, Tax Clearance, Ownership/ site plan and NOC of owner in case of tenants Tech. report of JE/AE/ME.	Owner or tenant.	30 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
7.	<b>Building Plan/ Planning permission /map</b>							
a.	Fresh planning permission.	A.P. M.Corp/ EO, MC/ Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the Form.	Owner of the property.	30 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
b.	Revised-cum-Completion Plan.	A.P. M.Corp/ EO, MC/ Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the Form.	Owner of the property.	90 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
c.	Completion plan (after completion of building in all respect).	A.P. M.Corp/ EO, MC/ Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the Form.	Owner of the property.	15 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the Municipality concerned.
d.	Demolition and Reconstruction of Building.	A.P. M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the Form.	Owner of the property.	45days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned
e.	Change of building use.	A.P. M. Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the Form under TCP, Rules 2016.	Owner of the Property.	60 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
f.	Alteration, Addition, Revision & Revalidation of Building Plan.	A.P. of M. Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the Form.	Owner of the Property.	45 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs	Fee as prescribed by the municipality concerned.
8.	Issuance of BPL certificate.	J.C./AC of M.Corp/ EO, MC/Secy, NP.	Application on plain paper	Copy of BPL card/ Affidavit, if required. List of family member with name Photograph of head of the family.	Any person.	07 days	i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs	Fee as prescribed by the municipality concerned.

14290

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2025 / 29 फाल्नुन, 1946

9.	NOC for Electricity.	A.P.M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	Application on plain paper.	Reference of sanction	Any person.	30 days	i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee prescribed as by the municipality concerned..
10.	Non P.F.A. License.	J.C./A.C. M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	Application on plain paper.	Reference of sanction	Any person.	30 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
11.	Permission for Canopy.	J.C/A.C. M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	Application on plain paper.	Reference of sanction	Any person.	7 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
12.	Permission for Dumping of muck.	XEN, M. Corp. / EO, MC/ Secy., NP.	Application on plain papers.	Reference of sanction	Any person.	7 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	Fee as prescribed by the municipality concerned.
13.	Trade License	AC of M.Corp/EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the Form.	Any person.	<b>Total-7 days.</b> Stage wise Bifurcation D.A.-02 days J.E/M.E-02 days Comm/ E.O/Secy -03.	(i) Commr. of the Corp. (ii)SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
14.	Road Cutting Permission.	AC of M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	Reference of sanction	Any person.	15 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
15.	Inspection carried out for <b>(a)</b> granting road cutting permission and <b>(b)</b> verification to ensure proper restoration.	AC of M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	Reference of sanction	Any person.	7 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
16.	Property Tax/ Vacant Land Tax.	AC of .Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the form.	Owner of the Property.	Issue of bill within 30 days from completion of FY.	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
17.	Signage License	A.C. M.Corp/ EO, MC/Secy., NPs.	On prescribed form.	As prescribed in the form.	Any person.	15 days	(I ) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
18.	Sanction for storage of construction material.	XEN, M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	Reference of sanction	Any person.	15 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	
19.	Movie Shooting- Municipal Corporation of State.	AC of M.Corp/ EO, MC/Secy., NP.	On prescribed form.	As prescribed in the form.	Any person.	7 days	(i) Commr. of the Corp. (ii) SDM concerned in respect of MCs/NPs.	

The request for service on the application/form prescribed, alongwith specified documents can be made to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive such applications. An acknowledgement will be issued as per Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules. In accordance with rule 4 of the H.P. Public Services Guarantee Rules, 2011, the designated officer shall display the information of services in Form-II on the official website as well as on the notice board for the information of general public.

An appeal under Section 6 can be filed before the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limits.

An appeal against the order of the First Appellate Authority can be filed before the State Information Commission, Himachal Pradesh, who shall be the second Appellate Authority.

By order,

Sd/-  
(DEVESHE KUMAR)  
Principal Secretary (UD).

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बिन्ता कुमारी पुत्री दुनी चंद, निवासी गांव डनून, डाकघर सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा  
(हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने वारे।

श्रीमती बिन्ता कुमारी पुत्री दुनी चंद, निवासी गांव डनून, डाकघर सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजर कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05—03—1964 को गांव डनून, ग्राम पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन वो अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अतः ग्राम पंचायत सुंडला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण वारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण वारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 05—04—2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर—हाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 05—04—2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 06–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

---

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री मेहबूब पुत्र श्री बलि मुहम्मद, निवासी महाल मंजीर, डाकघर मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा—हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री मेहबूब पुत्र श्री बलि मुहम्मद, निवासी महाल मंजीर, डाकघर मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशापथ प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, बैंक पास बुक, अपंग पहचान पत्र, स्कूल रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में मेहबूब पुत्र बली मुहम्मद दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल मंजीर की जमाबंदी वर्ष 2020–21 के खाता 92 में उसका नाम महमूद पुत्र बलि मुहम्मद पुत्र मंगतू दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 05–04–2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 05–04–2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 06–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

---

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री सजाद दीन पुत्र श्री मुसदी खान, निवासी महाल मंजीर, डाकघर मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

उनवान मुकद्दमा—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री सजाद दीन पुत्र श्री मुसदी खान, निवासी महाल मंजीर, डाकघर मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में सजाद दीन पुत्र श्री मुसदी खान है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल मंजीर की जमाबंदी वर्ष 2020-21 के खाता 76 में उसका नाम सजाद मुहम्मद पुत्र श्री मुसदी खान पुत्र सलार बक्श दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 05-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 05-04-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 06-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक कलैकटर प्रथम श्रेणी,  
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती जरीना पत्नी श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती जरीना पत्नी श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने बराये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू के माध्यम से इस कार्यालय में अपने बेटे श्री अरमान खान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचायत बड़ाग्रां में उनके बेटे श्री अरमान खान की जन्म तिथि 31-12-2008 दर्ज किया जाए इस बाबत अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र सचिव ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, व्यान हल्फिया, स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत बड़ाग्रां व प्रार्थी व गवाहन के लिखित व्यान से पाया गया कि श्री अरमान खान पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ की जन्म तिथि 31-12-2008 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री अरमान खान पुत्र श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे

14294

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2025 / 29 फाल्नुन, 1946

किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 15–04–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अभिलेख में उक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती जरीना पत्नी श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती जरीना पत्नी श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने बराये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू के माध्यम से इस कार्यालय में अपनी बेटी गुलशन खान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचायत बड़ाग्रां में उनकी बेटी गुलशन खान की जन्म तिथि 18–02–2010 दर्ज किया जाए इस बाबत अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र सविव ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, व्यान हलिफया, स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत बड़ाग्रां व प्रार्थी व गवाहन के लिखित व्यान से पाया गया कि गुलशन खान पुत्री श्री मोहम्मद शरीफ की जन्म तिथि 18–02–2010 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को गुलशन खान पुत्री श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 15–04–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अभिलेख में उक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

श्रीमती जरीना पत्नी श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती जरीना पत्नी श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने बराये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू के माध्यम से इस कार्यालय में अपनी बेटी ताजीम खान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचायत बड़ाग्रां में उनकी बेटी ताजीम खान की जन्म तिथि 03-12-2012 दर्ज किया जाए इस बाबत अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र सचिव ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, व्यान हल्फिया, स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड व रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत बड़ाग्रां व प्रार्थी व गवाहन के लिखित व्यान से पाया गया कि ताजीम खान पुत्री श्री मोहम्मद शरीफ की जन्म तिथि 03-12-2012 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को ताजीम खान पुत्री श्री मोहम्मद शरीफ, निवासी मकान नं0 96, गांव बड़ाग्रां बिहाल, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-04-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के अभिलेख में उक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री भीम सैन, निवासी गांव व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री भीम सैन, निवासी गांव व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म दिनांक 05-10-1962 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत वशिष्ट के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से

14296

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2025 / 29 फाल्नुन, 1946

छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री भीम सैन की जन्म तिथि 05–10–1962 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री भीम सैन की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16–04–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत नसोगी के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

---

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री भोलू पुत्र श्री घोली राम, मूल निवासी गांव टकोली, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी हाल निवासी गांव व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री भोलू पुत्र श्री घोली राम, मूल निवासी गांव टकोली, डाकघर व तहसील औट, जिला मण्डी हाल निवासी गांव व डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी पुत्री कुमारी वंशिका की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि आवेदक की पुत्री का जन्म दिनांक 26–04–2018 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत वशिष्ट के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आवेदक की पुत्री वंशिका की जन्म तिथि 26–04–2018 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को वंशिका पुत्री श्री भोलू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16–04–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत वशिष्ट के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar,  
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Rajeev Kumar s/o Late Sh. Ghaneshwar, r/o H. No. 95/2, Purani Mandi, Tehsil Mandi District Mandi, H.P.
2. Smt. Suman Sharma d/o Sh. Inder Dev Sharma, r/o H. No. 241/3, Pungh, P.O. & Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. . . Applicants.

*Versus*

General Public

**Subject.—Application for the Registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.**

Sh. Rajeev Kumar s/o Late Sh. Ghaneshwar, r/o H. No. 95/2, Purani Mandi, Tehsil Mandi District Mandi, H.P. and Smt. Suman Sharma d/o Sh. Inder Dev Sharma, r/o H. No. 241/3, Pungh, P.O. & Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. at present wife of (Sh. Rajeev Kumar s/o Sh. Ghaneshwar, r/o H. No. 95/2, Purani Mandi, Tehsil Mandi, District Mandi, H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-11-2000 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26th day of March, 2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 25th day of February, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sadar, District Mandi (H.P.).*

समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड्भडोल,  
जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नंबर 15 / 2025

तारीख मरजुआ 10 मार्च, 2025

तारीख पेशी : 29—03—2025

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री चरण दास, निवासी मोहाल तैण, तहसील लड्भडोल, जिला मण्डी, हाल निवासी गांव कुंसल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि० प्र०। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम ।

दरख्खास्त बाबत नाम दुरुस्ती ।

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में श्री संजीव कुमार पुत्र श्री चरण दास, निवासी मोहाल तैण, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हाल निवासी गांव कुंसल, डाकघर ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने इस अदालत में दिनांक 07-03-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम संजीव कुमार है, जोकि प्रार्थी के परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल तैण, पटवार वृत्त घटौड में संजय कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आहवान पत्र तलबाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल तैण, पटवार वृत्त घटौड में तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हि०प्र० में प्रार्थी का नाम संजय कुमार के स्थान पर संजय कुमार उपनाम संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) दुरुस्ती करने वारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29 मार्च, 2025 को 10.00 बजे प्रातः इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 12-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

---

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल,  
जिला मण्डी (हि० प्र०)

तारीख दायर : 12-03-2025

श्री शशी सकलानी पुत्र स्व० मोहन लाल सकलानी, निवासी कच्छाहली, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

नोटीस आधार कार्ड में नाम की दुरुस्ती श्रीमती सुकला देवी दर्ज करवाने के आवेदन पत्र बारे।

श्री शशी सकलानी पुत्र स्व० मोहन लाल सकलानी, निवासी कच्छाहली, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन-पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी माताजी का वास्तविक नाम सुकला देवी है परन्तु आधार कार्ड नं० 2711 5183 6650 में आवेदक की माताजी का नाम भोली देवी है, जोकि गलत दर्ज है। इसलिए आवेदक ने निवेदन किया है कि आधार कार्ड में उसकी माताजी का नाम श्रीमती भोली देवी के बजाए श्रीमती सुकला देवी दर्ज किया जाए।

इस नोटिस द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं प्रार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 13-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,  
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Mohit Kumar age 26 years s/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Pallian, P.O. Dhussara, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
2. Nisha Devi age 24 years d/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Baduha, P.O. Sohari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) . . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.*

Sh. Mohit Kumar s/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Pallian, P.O. Dhussara, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Nisha Devi d/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Baduha, P.O. Sohari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) at present wife of Sh. Mohit Kumar s/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Pallian, P.O. Dhussara, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-07-2024 at r/o Village Baduha, P.O. Sohari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954. Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-04-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 10th March, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र विहारी लाल, वासी वडैहर, तहसील व जिला ऊना (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र गाम पंचायत वनगढ़, तहसील व जिला ऊना में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

मुश्त्री मुनादी।

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र विहारी लाल, वासी वडैहर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र District Registrar (Birth & Death)—cum-Chief Medical Officer Una द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है व प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी पत्नी राज रानी पुत्री लक्ष्मण दास, वासी वनगढ़ का जन्म दिनांक 01—07—1956 को गांव वनगढ़ में हुआ है जोकि वनगढ़ पंचायत में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी अपनी पत्नी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वनगढ़ में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24—03—2025 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर लिखित या मोखिक तौर पर इस न्यायालय में पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि को दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
उप—मण्डल दण्डाधिकारी (ना०)  
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह,  
जिला ऊना (हि०प्र०)

विवाह पंजीकरण

1. श्री विपुल ठाकुर पुत्र श्री विनोद ठाकुर, निवासी वार्ड नम्बर 1, नगर पंचायत गगरेट, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०)।

2. श्रीमती पूनम ठाकुर पुत्री श्री जनक सिंह, वासी रामा मंडी, जालंधर (पंजाब) हाल पत्नी श्री विपुल ठाकुर पुत्र श्री विनोद ठाकुर, निवासी वार्ड नम्बर 1, नगर पंचायत गगरेट, उप—तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री विपुल ठाकुर पुत्र श्री विनोद ठाकुर, निवासी वार्ड नम्बर 1, नगर पंचायत गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) व श्रीमती पूनम ठाकुर पुत्री श्री जनक सिंह, वासी रामा मंडी, जालंधर (पंजाब) हाल पत्नी श्री विपुल ठाकुर पुत्र श्री विनोद ठाकुर, निवासी वार्ड नम्बर 1, नगर पंचायत गगरेट, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 18-11-2005 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण नगर पंचायत गगरेट के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी व प्रार्थिया ने अपनी शादी की पुष्टि बारे अपनी फोटो, शपथ—पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण नगर पंचायत गगरेट के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित नगर पंचायत गगरेट में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07-04-2025 को दोपहर 02.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 06-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह,  
उप-तहसील गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह,  
जिला ऊना (हि०प्र०)**

विवाह पंजीकरण

1. श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री नारायण दत्त वशिष्ट, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०)।

2. श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री श्री हुक्म चंद, वासी गांव नेहरी हाल पत्नी श्री राजिंदर कुमार पुत्र पुत्र श्री नारायण दत्त वशिष्ट, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री राजिंदर ठाकुर पुत्र श्री नारायण दत्त वशिष्ट, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०) व श्रीमती मनोरमा देवी पुत्री श्री हुक्म चंद, वासी गांव नेहरी हाल पत्नी श्री राजिंदर कुमार पुत्र पुत्र श्री नारायण दत्त वशिष्ट, निवासी गांव गगरेट अप्पर, उप-तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि०प्र०)

14302

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2025 / 29 फाल्नुन, 1946

कलोह, जिला ऊना (हिं0प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 16—05—1995 को मुताबिक हिन्दू रीति—रिवाज से हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत गगरेट अपर के अभिलेख में नहीं करवाया है। प्रार्थी व प्रार्थिया ने अपनी शादी की पुष्टि बारे अपनी विवाह का फोटो, शपथ—पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत गगरेट अपर के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित पंचायत गगरेट अपर में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 07—04—2025 को दोपहर 02.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। गैर—हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 06—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी गगरेट स्थित कलोह,  
जिला ऊना (हिं0प्र०)।

## CHANGE OF NAME

I, Sansar Chand s/o Sh. Chet Ram, r/o VPO Kaloh, Sub-Tehsil Gagret at Kaloh, District Una (H.P.) declare that according to my Aadhar Card, PAN Card and other documents my name is recorded as Sansar Chand. Whereas in my service record and pension documents my name is recorded as Kehar Singh Rajput. Sansar Chand and Kehar Singh Rajput are the names of one and the same person. All concerned note please.

SANSAR CHAND  
*s/o Sh. Chet Ram,  
r/o VPO Kaloh,  
Sub-Tehsil Gagret at Kaloh, District Una (H.P.).*

## CHANGE OF NAME

I, Bhag Singh s/o Sh. Bhader Singh, r/o Village Shaliyan, P.O. Bakras, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar No. 8485 5085 6455, my name wrongly written as Bhav Singh & showing Bhaw Singh on Aadhar Portal instead of my real & correct name Bhag Singh. All concerned may please note.

BHAG SINGH  
*s/o Sh. Bhader Singh,  
r/o Village Shaliyan, P.O. Bakras,  
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Surender s/o Sh. Bhag Chand, r/o Village Reoth, P.O. Kunial, Sub-Tehsil Kalbog, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son name from Aarav (Old Name) to Aarav Chauhan (New Name). All concerned please may note.

SURENDER  
s/o Sh. Bhag Chand,  
r/o Village Reoth, P.O. Kunial,  
Sub-Tehsil Kalbog, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Pooja w/o Sh. Tapender Singh, r/o Village Bharari, P.O. Punnerdhar, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.) have changed my minor son's name from Akhilesh Varam to Akhil Verma.

POOJA  
w/o Sh. Tapender Singh,  
r/o Village Bharari, P.O. Punnerdhar,  
Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Anita Kanwar w/o Sh. Yashvir Singh, r/o Village Damkari, P.O. Damkari, Tehsil & District Solan (H.P.) have changed my name from Anita Kanwar to Anita Kumari.

ANITA KANWAR  
w/o Sh. Yashvir Singh,  
r/o Village Damkari,  
P.O. Damkari, Tehsil & District Solan (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Sapna w/o Sh. Dhan Bahadur, r/o Village Dharyan, P.O. Sadhu Pul, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) have changed my name from Sapna to Shabbu.

SAPNA  
w/o Sh. Dhan Bahadur,  
r/o Village Dharyan, P.O. Sadhu Pul,  
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Khem Singh s/o Sh. Nek Ram, r/o Village Nal, P.O. Dhangyar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Khem Singh to Khem Chand.

KHEM SINGH  
*s/o Sh. Nek Ram,  
r/o Village Nal, P.O. Dhangyar,  
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Manoj Kumar s/o Late Sh. Hamir Chand, r/o Village & P.O. Nirath, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's name from Samrat Sharma (Previous Name) to Soham Sharma (New Name). All concerned please may note.

MANOJ KUMAR  
*s/o Late Sh. Hamir Chand,  
r/o Village & P.O. Nirath,  
Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Prakash Chand s/o Sh. Metu Ram, r/o V.P.O. Soldha, ST Kotla, District Kangra (H.P.) declare that in my PAN Card, my father's name wrongly written as Meet Chnd instead of Metu Ram. Metu Ram & Meet Chnd is one & same person.

PRAKASH CHAND  
*s/o Sh. Metu Ram,  
r/o V.P.O. Soldha, ST Kotla, District Kangra (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Vikas Kumar s/o Sh. Jamna Dass and Rajani w/o Sh. Vikas Kumar, r/o Village Dishti, P.O7. Sainj, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) declare that I am Father/Mother of Gitansh Kashyap and he is my minor son. That I have changed name of my son from Banni Kashyap (Old Name) to Gitansh Kashyap (New Name). All concerned please note.

VIKAS KUMAR  
*s/o Sh. Jamna Dass  
r/o Village Dishti, P.O7. Sainj,  
Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Anupma d/o Sh. Diwan Chand, r/o Village Batalabahali, P.O. & Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name to Anupma from Heeramani. All concerned please note.

ANUPMA  
*d/o Sh. Diwan Chand,  
r/o Village Batalabahali,  
P.O. & Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).*

### CHANGE OF NAME

I, Dalip Kumar Sharma, r/o Shri Siddhi Vinayak, Ground Floor, Anand Bhawan, Near Shiv Sadan, Sanjauli, Shimla (H.P.) inform that my son Siddhivinayak Sharma's matriculation certificate incorrectly mentions my name as Dalip Sharma instead of the correct name Dalip Kumar Sharma. Note the related.

DALIP KUMAR SHARMA,  
*r/o Shri Siddhi Vinayak, Ground Floor,  
Anand Bhawan, Near Shiv Sadan, Sanjauli, Shimla (H.P.).*

